

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 अगस्त 2018—श्रावण 10, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2018

एफ 73-01-2012-अडतीस-3.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "अथवा पदोन्नति" का लोप किया जाए.
2. नियम 29 में, उप-नियम (1) में, अंक एवं शब्द "60 वर्ष", के स्थान पर अंक एवं शब्द "62 वर्ष" स्थापित किया जाए.
3. अनुसूची-एक में, नोट-2 में, शब्द "अथवा पदोन्नति" का लोप किया जाए.
4. यह अधिसूचना दिनांक 31 जुलाई 2018 से लागू होगी.

F. 73-01-2012-XXXVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh State University Service Rules, 1983, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 5, in sub-rule (1), in clause (c), the words "of by promotion" shall be omitted.
2. In rule 29, in sub-rule (1), for the figure and word "60 years", the figure and word "62 years" shall be substituted.
3. In Schedule-I, in Note-2, the words "or by promotion" shall be omitted.
4. This notification shall come into force from 31st July 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. नायडू, अपर मुख्य सचिव.

863